



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



के.आ./के.आ./सू.अ/2016/750

दिनांक : 25 मई, 2017

श्री संजय सिंह,
N1/65C-1E, Shiv Prasad Nagar,
Colony, Samneghat,
Lanka Varanasi 221 005

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया आप अपनी अपील, 22.2.2017 एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा 24.5.2017 के आदेश का संज्ञान ले। अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार मांगी गई अतिरिक्त जानकारी संलग्न है।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

संलग्न : उपरोक्त

श्री संजय सिंह, वाराणसी के द्वारा सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत अपील के तहत

माँगी गई जानकारी

निवेदक द्वारा माँगी गई सामान्य प्रकृति की जानकारी जो कि किसी भी पारिषण लाइन से संबंध नहीं रखते थे पूर्व में अग्रेशित की गई थी परंतु निवेदक ने जानकारी को असंतोषजनक बताकर जबाव पूनः माँगा है। ।

इस संदर्भ में माँगी गई अतिरिक्त जानकारी निम्न विवरण के अनुसार है-

Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010 के क्लॉज-61 के अनुसार

(1.) अगर ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के उपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, तो ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे उंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी-

(i) 33 के. वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइन के लिए - 3.7 मी.+ 0.3 मी.
प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वो
या इसके भाग के लिए

(2.) सबसे नजदीकी सूचालक और ऐसी इमारत के बीच समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी-

(i) 33 के. वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइन के लिए - 2.0 मी.+
0.3 मी. प्रत्येक अतिरिक्त 33
के. वो. या इसके भाग के लिए

उपरोक्त से संबंधित, *Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010* का संबंधित पृष्ठ भी जानकारी हेतु संलग्न है।

कलोग

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवाँ छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर वायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, सम्मिलित है।

61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली

लाइन के लिए

- (ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी. + 0.30
लाइन के लिए मी. प्रत्येक
अतिरिक्त 33,000
वो. या इसके भाग
के लिए

(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारत के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

- (i) 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. - 1.2 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
के लिए
- (ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. - 2.0 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
के लिए
- (iii) 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली
लाइन के लिए - 2.0 मी. + 0.3 मी.
प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी.
अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

| क्र.सं. | डीसी वोल्ट (के.वी.) | लम्बवत दूरी (मीटर) | समानांतर दूरी (मीटर) |
|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 100 के.वी. | 4.6 | 2.9 |
| 2 | 200 के.वी. | 5.8 | 4.1 |
| 3 | 300 के.वी. | 7.0 | 5.3 |
| 4 | 400 के.वी. | 7.9 | 6.2 |
| 5 | 500 के.वी. | 9.1 | 7.4 |
| 6 | 600 के.वी. | 10.3 | 8.6 |
| 7 | 800 के.वी. | 12.4 | 10.7 |

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी ।